"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 जनवरी 2016—— माघ 9, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2016

क्रमांक 977/डी. 30/21-अ/प्रारू./छ.ग./2016 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 15-01-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 7 सन् 2016)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाये.

अनुसूची 1-क का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 35 के खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(कक) जहां खनि पट्टा नीलामी के आधार पर दिया गया हो-

(एक) जहां पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिये तात्पर्यित हो;	वही शुल्क जो ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय सम्पूर्ण रकम के बन्धपत्र (क्रमांक 15) पर लगता है.
(दो) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो जो एक वर्ष से कम न हो किन्तु पांच वर्ष से अधिक न हो;	वही शुल्क जो आरक्षित किए गए औसत वार्षिक स्वामित्व की रकम या मूल्य के बन्धपत्र (क्रमांक 15) पर लगता है.
(तीन) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो जो पांच वर्ष से अधिक हो किन्तु दस वर्ष से अधिक न हो;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक स्वामित्व की डेढ़ गुनी रकम या मूल्य के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.
(चार) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो जो दस वर्ष से अधिक हो किन्तु बीस वर्ष से अधिक न हो;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक स्वामित्व की रकम या मूल्य के तीन गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.
(पांच) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो, जो बीस वर्ष से अधिक हो किन्तु तीस वर्ष से अधिक न हो;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक स्वामित्व की रकम या मूल्य के पांच गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.

(छः) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो, जो तीस वर्ष से अधिक हो किन्तु एक सौ वर्ष से अधिक न हो;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक स्वामित्व की रकम या मूल्य के आठ गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.
(सात) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो, जो एक सौ वर्ष से अधिक हो या शाश्वत काल के लिये हो;	वही शुल्क जो सम्पूर्ण स्वामित्व रकम, जो कि प्रथम साढ़े बारह वर्ष के पट्टे के संबंध में चुकाया या परिदत्त किया जायेगा, के बराबर बाजार मूल्य या एक चौथाई के लिये हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.
(आठ) जहां पट्टा किसी निश्चित अवधि के लिये तात्पर्यित न हो;	वही शुल्क जो ऐसे औसत वार्षिक स्वामित्व, जो कि प्रथम दस वर्ष के लिये चुकाया या परिदत्त किया जायेगा यदि पट्टा उस अवधि तक चालू रहा हो, के रकम या मूल्य के तीन गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.

परंतु यह कि इस अनुच्छेद के खण्ड (ख) एवं (ग) में अंतर्विष्ट कोई बात, इस खण्ड के मामले में लागू नहीं होगी.

स्पष्टीकरण- नीलामी के आधार पर खनि पट्टों के मामले में स्वामित्व को छोड़कर अन्य किसी राशि पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य नहीं होगा."

4. भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 3 सन् 2015) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. निरसन.

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

क्रमांक 977/डी. 30/21-अ/प्रारू./छ.ग./2016 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 जनवरी, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 7 of 2016)

THE INDIAN STAMP (CHHATTISGAH AMENDMENT) ACT, 2015

An Act to further amend the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Chhattisgarh Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), in its application to the State of Chhattisgarh.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), (hereinafter referred to as the Principal Act) in its application to the State of Chhattisgarh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Schedule I-A.

3. After clause (a) of Article 35 of Schedule I-A of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :-

"(aa) where the mining lease is granted on the basis of auction-

(i) where the lease purports to be for a term less than one year;	The same duty as a Bond (No. 15) for the whole amount payable or deliverable under such lease.
(ii) where the lease purports to be for a term of not less than one year but not more than five years;	The same duty as a Bond (No. 15) for the amount or value of the average annual royalty reserved.
(iii) where the lease purports to be for a term exceeding five years but not exceeding ten years;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to the amount or value of one and half times the average annual royalty reserved.
(iv) where the lease purports to be for a term exceeding ten years but not exceeding twenty years;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to three times the amount or value of average annual royalty reserved.
(v) where the lease purports to be for a term exceeding twenty years but not exceeding thirty years;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to five times the amount or value of the average annual royalty reserved.

(vi) where the lease purports to be for a term exceeding thirty years but not exceeding one hundred years;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to eight times the amount or value of the average annual royalty reserved.
(vii) where the lease purports to be for a term exceeding one hundred years or in perpetuity;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to or one-fourth of the whole amount of royalty which would be paid or delivered in respect or the first twelve and half years of the lease.
(viii) where the lease does not purport to be for any definite term;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to three times the amount or value of the average annual royalty, which would be paid or delivered for the first ten years if the lease continued so long.

Provided that nothing contained in clause (b) and (c) of this Article shall be applicable in respect of this clause.

Explanation- In case of grant of mining lease on the basis of auction no Stamp Duty shall be chargeable on any amount other than royalty."

4. The Indian Stamp (Chhattisgarh Amendment) Ordinance, 2015 (No. 3 of 2015) is hereby repealed. **Repeal.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.